बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भू–अर्जन निदेशालय

पटना, बिहार

अधिसूचना

पत्रांक - 2350/रा० 14/डी0एल0ए0 सारण (सिंचाई योजना)–41/2013 दिनांक - 24 - 09 - 13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि कि ग्राम– ताजपूर थाना– मॉझी, थाना नं0–69 परागना– वाल, जिला– सारण, छपरा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अर्जन अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए कि ग्राम– ताजपुर ,थाना– मॉझी, थान नं0– 69 में भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमोवेश 0.32 एकड़ के बराबर होता है, जिसका खेसरा नं0 निम्न प्रकार है–

अर्जनाधीन भूमि का खेसरा नं0– अर्जित अंश खेसरा सं0 3034,3035 तथा 3036

अर्जनाधीन भूमि की चौहदी

उत्तर –	अर्जित खेसरा सं0 3036
दक्षिण–	अर्जित अंश खेसरा सं0 3036
पूरब–	अर्जित खेसरा सं0 3036
पश्चिम–	अंश खेसरा सं0 3034 तथा 3035

इस अधिसूचना को भू–अर्जन अधिनियम सन् 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 4 के उपबंधो के अधीन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जिनका इससे संबंध है ।

भूमि का नक्शा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना छपरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार विशेष भू– अर्जन पदाधिरी गंडक योजना सारण, छपरा एवं उनके कर्मचारी तथा इस परियोजना के आरम्भिक अनुसंधान में तत् समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारियो को प्राधिकृत करती है कि वे भूमि पर प्रवेश कर उसका सर्वेक्षण कर तथा उक्त अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) यथा उपबंधित तथा विर्निदिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करेगें।

चूँकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरन्त आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा– 17 की उपधारा– 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (I) के उपबंध उक्त जमीन पर लागू नहीं होगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्ता सारण

ह०/-
सरकार के अवर
सचिव बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या – 14/डी0 एल0 ए0 सारण (सिंचाई योजना)–41/2013 – 2350/रा0
दि0- 24-09-13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सारण को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता, सारण को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 6. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

24/9/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।